न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – पीयुष समारिया (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
002/2023(रसद) (GCMS 2023/5)	09.01.2023	25.07.2023

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये पिंकी स्वर्णकार प्रवर्तन निरीक्षक, चित्तौड़गढ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

रूपलाल पिता रामकिशन तेली निवासी शास्त्रीनगर चित्तौड़गढ़ गुजरात नाश्ता सेन्टर शास्त्रीनगर चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

विपक्षी

उपस्थिति :– हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी एमएल दक — पैरोकार सरकार अधिवक्ता विपक्षी

प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित के तहत जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक पिंकी स्वर्णकार, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 21.12.2022 को 2.45 पीएम को जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ के निर्देशानुसार औचक निरीक्षण पर आवेदक पिंकी स्वर्णकार गुजरात नाश्ता सेन्टर शास्त्रीनगर चित्तौड़गढ़ पर पहुंची वक्त निरीक्षण मौके पर रूपलाल तेली उपस्थिति मिले। मौके पर ईण्डेन कम्पनी के घरेलु गैस सिलेण्डर को उक्त नाश्ता सेन्टर पर अवैध रूप से पास ही शटर लगी दुकान में रखे हुए पाये गये। घरेलु गैस सिलेण्डर की रख–रखाव हेतु वैद्य दस्तावेज की मांग पर दुकानदार द्वारा मना कर दिया गया। तत्पश्चात् मौके पर शैलेष साहु पिता रूपलाल साहु निवासी शास्त्री नगर मोबाईल नंबर 73397 17827 एवं गोविन्द सिंह राजपूत निवासी भीण्डर उदयपुर मोबाईल 98281 22767 की उपस्थिति में सभी घरेलु गैस सिलेण्डर बाहर निकलवाकर तुलवा कर मापन किया गया। उक्त 9 घरेलु गैस सिलेण्डरों के मापन पर **48.1 Kg.** गैस पाई गई। वक्त निरीक्षण मौके पर फर्द तलपट्टी मय अभिग्रहण सुपुर्दगीनामा तैयार किया गया। उपस्थित गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर करवाये गये तथा प्रियंका गैस एजेन्सी के संचालक/प्रतिनिधि रमेश शर्मा चित्तौड़गढ़ की सुपुर्दगी में कुल 9 सिलेण्डर दिये गये।

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

जिसका विवरण आवेदन अनुसार है। विपक्षी द्वारा घरेलू गैस का व्यापारिक उपयोग का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। अंत में प्रार्थना की गई कि अभिग्रहित 9 घरेलू गैस सिलेण्डर मय उसमें भरी हुई **48.1 Kg.** को राजसात करने की कृपा करें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 01.02.2023 को विपक्षी की और से अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

दिनांक 25.07.2023 को विपक्षी की और से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। विपक्षी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर बताया कि प्रवर्तन निरीक्षक मेरे प्रतिष्ठान गुजरात नाश्ता सेंटर पर पहुॅची और पास ही शटर लगी हुई दुकान में रखे 09 घरेलू गैस सिलेण्डर को जप्त किये। मौके पर मुझ विपक्षी एवं मेरे पुत्र शैलेष साहु व नौकर गोविन्द सिंह राजपूत के हस्ताक्षर खाली परफोर्मा पर यह कहकर कराये कि पास शटर लगी हुई दुकान से घरेलू गैस सिलेण्डर मिले है। इस संबंध में दुकान मालिका का पता कर कार्यवाही करेंगें। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न फर्द मौका अधिग्रहण मय सुपुर्दगी नाम फर्द तलपटी व बयान की कोई कार्यवाही मौके पर नहीं की गई। मेरे व्यवसायिक स्थल के पास जो शटर लगी हुई दुकान जिसमें गैस सिलेण्डर पाये गये उन गैस सिलेण्डर से मुझ विपक्षी का कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं है। मौके पर मेरे द्वार घरेलू गैस सिलेण्डर का किसी भांति कोई उपयोग करते हुए नहीं पाया गया और न ही गैस भरने के चूल्हे से रबर ट्यूब रेगूरेलटर से जोडी जाकर एलपीजी के ईधन के रूप में कार्य लिया जाकर चूल्हे पर खाद्य सामग्री का निर्माण किया जाना ही पाया गया और न ही किये जाने वाला था। इस भांति जो गैस सिलेण्डर जप्त किये गये उसमें मुझ विपक्षी का कोई किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। अंत में प्रार्थना की गई कि जवाब स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही ड्राप फरमाई जावें। विपक्षी की और से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

हाजिर पैरोकार सरकार द्वारा प्रकरण का निस्तारण किये जाने की ईश्तदुआ की गई। इस पर उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली का सुना गया। हाजिर पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक अथवा अन्य कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है। दिनांक 21.12.2022 को 2.45 पीएम को जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ के निर्देशानुसार औचक निरीक्षण पर आवेदक पिंकी स्वर्णकार गुजरात नाश्ता सेन्टर शास्त्रीनगर चित्तौड़गढ़ पर पहुंची वक्त निरीक्षण मौके पर रूपलाल तेली उपस्थित मिले। मौके पर ईण्डेन कम्पनी के घरेलु गैस सिलेण्डर को उक्त नाश्ता सेन्टर पर अवैध रूप से पास ही शटर लगी दुकान में रखे हुए पाये गये। घरेलु गैस सिलेण्डर की रख–रखाव हेतु वैद्य दस्तावेज की मांग पर दुकानदार द्वारा मना कर दिया गया। तत्पश्चात् मौके पर गवाहान की उपस्थिति में सभी घरेलु गैस सिलेण्डर बाहर निकलवाकर तुलवा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कर मापन किया गया। उक्त 9 घरेलु गैस सिलेण्डरों के मापन पर **48.1 Kg.** गैस पाई गई। वक्त निरीक्षण मौके पर फर्द तलपट्टी मय अभिग्रहण सुपुर्दगीनामा तैयार किया गया। उपस्थित गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर करवाये गये तथा प्रियंका गैस एजेन्सी के संचालक/प्रतिनिधि रमेश शर्मा चित्तौड़गढ़ की सुपुर्दगी में कुल 9 सिलेण्डर दिये गये। जिसका विवरण आवेदन अनुसार है। विपक्षी द्वारा घरेलू गैस का व्यापारिक उपयोग का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। अंत में प्रार्थना की गई कि अभिग्रहित 9 घरेलू गैस सिलेण्डर मय उसमें भरी हुई **48.1 Kg.** को राजसात किये जाने का आदेश फरमाया जावें। इस पर अधिवक्ता विपक्षी ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया बताया कि प्रवर्तन निरीक्षक मेरे प्रतिष्ठान गुजरात नाश्ता सेंटर पर पहुॅची और पास ही शटर लगी हुई दुकान में रखे 09 घरेलू गैस सिलेण्डर को जप्त किये। मौके पर मुझ विपक्षी एवं मेरे पुत्र शैलेष साहु व नौकर गोविन्द सिंह राजपूत के हस्ताक्षर खाली परफोर्मा पर यह कहकर कराये कि पास शटर लगी हुई दुकान से घरेलू गैस सिलेण्डर मिले है। इस संबंध में दुकान मालिका का पता कर कार्यवाही करेंगें। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न फर्द मौका अधिग्रहण मय सुपुर्दगी नाम फर्द तलपटी व बयान की कोई कार्यवाही मौके पर नहीं की गई। मेरे व्यवसायिक स्थल के पास जो शटर लगी हुई दुकान जिसमें गैस सिलेण्डर पाये गये उन गैस सिलेण्डर से मुझ विपक्षी का कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं है। अतः जवाब स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही ड्राप फरमाई जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस समाप्त की। इस पर बहस के रिवटल में पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया है कि विपक्षी की और से जब्तशुदा सिलेण्डरों के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये गये। इसके साथ ही सम्पूर्ण कार्यवाही मौके पर ही की गई जिसकी पुष्टि फर्द अभिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा से होती है जिस पर विपक्षी, गवाहान एवं प्रियंका इण्डेन गैस एजेंसी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक/अन्य उपयोग करना पाया गया जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन होने से धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा गैस सिलेण्डर मय गैस व अन्य सामग्री राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली एक तरफा का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा विपक्षी की दुकान का मुआयना करने पर मौके पर विपक्षी के कब्जे में 9 घरेलू गैस सिलेण्डर अनाधिकृत रूप से भण्डारण करना पाया गया तथा मौके पर उक्त गैस सिलेण्डरों के संबंध में वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। विपक्षी की और से आवेदन का खण्डन किया गया है और कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है एवं विपक्षी द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र में उठाये गये तथ्य ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के मोहताज है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऐसी स्थिति में पत्रावली पर विपक्षी की और से किसी आवेदन का ठोस खण्डन रिकार्ड पर नहीं है। विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों से अवैध गैस रिफलिंग कर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना प्रमाणित पाया गया, जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन एवं धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों का अपनी दुकान पर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाता है। ऐसी स्थिति में विपक्षी से जब्त शुदा 9 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं जब्तशुदा सिलेण्डरों में भरी हुई कुल **48.1 Kg.** गैस राजसात **(Confiscate)** किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी प्रवर्तक निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं दिनांक 21.12.2022 को प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा गुजरात नाश्ता सेन्टर शास्त्रीनगर चित्तौड़गढ़ से विपक्षी रूपलाल पिता रामकिशन तेली निवासी शास्त्रीनगर चित्तौड़गढ़ से जब्त शुदा 9 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं जब्तशुदा सिलेण्डरों में भरी हुई कुल **48.1 Kg.** गैस राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी उक्त गैस सिलेण्डरों एवं अन्य सामग्री के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें। जब्तशुदा सामग्री के नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **25.07.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official